

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र.एफ 5/अभि/सीटीएडी/कॉलेज कन्या छात्रावास/2017-18/

दिनांक :

उपायुक्त

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,

आबूरोड (सिरोही)।

विषय : सेठ मंगलचंद राजकीय महाविद्यालय, आबूरोड में नवनिर्मित बालिका छात्रावास में ड्रेनेज एवं बाउण्ड्रीवॉल निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

प्रसंग : परियोजना अधिकारी, स्वच्छ परियोजना, आबूरोड का पत्रांक एफ-() /तक/आबू/पीओ/स्वच्छ/2020-21/1902-04 दिनांक 27.08.2021।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में परियोजना अधिकारी, स्वच्छ परियोजना, आबूरोड से सेठ मंगलचंद राजकीय महाविद्यालय, आबूरोड में नवनिर्मित बालिका छात्रावास में शेष रहे कार्य ड्रेनेज एवं बाउण्ड्रीवॉल निर्माण का तकमीना मय तकनीकी स्वीकृति (APO/Swach Abu road 1907-9 Date 27.08.2021) निम्नानुसार प्राप्त हुई है।

Name of work	Amount Rs. (As per T.S.)
PART 'A' DRAIN WORK length 290 metre	9.71
PART 'B' BOUNDARY WALL length 54.5 metre	3.41
TOTAL	13.12
Add 1.25% Contingency Charges	0.16
SUB TOTAL	13.28
Add 4 % Establishment Charges	0.53
SUB TOTAL	13.82
0.25% Contingency Charges for monitoring TAD	0.03
GRAND TOTAL	13.85

सेठ मंगलचंद राजकीय महाविद्यालय, आबूरोड में नवनिर्मित बालिका छात्रावास में शेष रहे कार्य ड्रेनेज एवं बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रु. 13.85 लाख जारी की जाती है एवं कार्यकारी एजेन्सी स्वच्छ परियोजना को नियुक्त किया जाता है।

उपरोक्त कार्य पर राशि का व्यय संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या-22/2019-20 जो कि विभागीय छात्रावासो/आवासीय विद्यालयों के मरम्मत रख-रखाव एवं सुविधाओं के विकास हेतु प्राप्त हुआ है में से किया जावेगा। यह राशि पृथक यू.ओ.नोट से उपलब्ध करवाई जा रही है।

शर्तें-

1. यदि कोई कार्य अन्य किसी स्रोत से पूर्व में स्वीकृत हो गया हो तो अविलम्ब सूचित करें। यदि दोहरा व्यय होता है तो इसकी जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की रहेगी।
2. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही ड्राईंग, तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के क्रम में जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जावे।
3. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, संशोधन 2013 एवं सामान्य लेखा व वित्तीय नियमों की पालना सुनिश्चित करते हुए पूर्व में व वर्तमान में स्वीकृत निर्माण कार्य का सम्पादन सक्षम व योग्य सिविल अभियंताओं की देख-रेख में गुणवत्ता पूर्वक किया जावे।

4. स्वीकृत कार्यो का समय-समय पर third party inspection करवाया जायेगा। inspection के समय आवश्यक सूचनाएं कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निरीक्षण दल को उपलब्ध करवाई जावेगी। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दुरस्त/ठीक करने की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी।
5. कार्य पूर्ण होने पर उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र के साथ बचत राशि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को पुनः लौटाई जावे।
6. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व, प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy मे comm.tad@rajasthan.gov.in पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।
7. कार्यादेश की प्रति भिजवावे।

-sd-
(प्रज्ञा केवलरमानी)I.A.S.
आयुक्त

क्र.एफ 5/अभि/सीटीएडी/275(1)/छात्रावास निर्माण/19-200/
प्रतिलिपि-

27099-110

दिनांक 20/09/2021

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. जिला कलक्टर, सिरोही।
4. निदेशक/परियोजना प्रबंधक, स्वच्छ परियोजना उदयपुर।
5. प्राचार्य, सेठ मंगलचंद चौधरी राजकीय महाविद्यालय, आबूरोड जिला सिरोही।
6. परियोजना अधिकारी, स्वच्छ परियोजना आबूरोड जिला सिरोही।
7. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा।
8. निदेशक, मॉनिटरिंग कार्यालय हाजा।
9. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
10. गार्ड फाईल।

0
अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर (राज.)